राजस्थान सरकार

औषधि नियत्रंण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर राज0

क्रमांक/डीसी/लेखा/एन.आर.एच.एम./2010/25 दिनांक :– 25-3-2010

समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी,

राजस्थान।

विषयः–कम्प्यूटर मय प्रिन्टर प्राप्त होते ही बिलों पर सत्यापन कर अविलम्ब भिजवाने बाबत्।

संदर्भः–इस कार्यालय का आदेश क्रमांक F( )DC/Acct/2009-10/07 दिनांक 04.02.2010 एवं 10 दि: 8/2/10

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र से आपके कार्यालय को कम्प्यूटर मय प्रिन्टर सप्लाई हेतु **M/s HCL Infosystems Ltd., G-8,9,10. Sector-3 Noida (U.P)** को संदर्भित आदेश दिया गया था । फर्म ने उनके पत्र दिनांक 25.03.2010 से इस कार्यालय को सूचित किया है कि फर्म द्वारा आपको दिनांक 20.03.2010 को **BLUE DART EXPRESS LIMITED** से कम्प्यूटर मय प्रिन्टर भिजवा दिये गये है। सभी बिलो की एक प्रति इस कार्यालय को भुगतान हेतु प्रस्तुत की गई है जैसा कि आपसे दिनांक 20.03.2010 से 22.03.2010 के प्रशिक्षण के दौरान इस सम्बन्ध मे विस्तृत चर्चा हो चूकी है । अतः आप कम्प्यूटर मय प्रिन्टर एवं UPS प्राप्त होते ही अविलम्ब इनकी स्टॉक एन्ट्री कर एवं बिलों को दोहरी प्रतियों में प्रमाणित कर दिनांक 29.03.2010 को प्रातः 11 बजे तक इस कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें जिससे इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान कराया जा सकें । आवंटित बजट का इसी वित्तीय वर्ष में उपयोग न हो पाने की अन्यथा स्थिति में आप स्वयं व्यक्तिगत उतरदायी होगें।

डॉ. सी. रेखा

औषधि नियंत्रक,
राज0, जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0, मुख्यालय, जयपुर ।
2. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान को भेजकर लेख है कि उक्तानुसर पालना सुनिश्चित करावें ।

औषधि नियंत्रक,
राज0, जयपुर